

eNotes upload by Dr. Ravikant Ranjan , Dept of Political science, Date 5 Feb 24, Time 9 Am, BA Part 2- Public service Commission Art 315 to 323 (Art 315 to 319 you can see enotes dated 3 Feb 24)

Visit - www.maharajacollege.ac.in

अनु. 320 PSC के कार्य

- ① लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करती है।
- ② परामर्शदात्री के रूप में -
 - (i) लोक सेवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में
 - (ii) स्थानान्तरण व पदोन्नति के सम्बन्ध में
 - (iii) अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में
 - (iv) लोक सेवकों द्वारा किए गए खर्चों के दावों के सम्बन्ध में
 - (v) पेंशन के सम्बन्ध / क्षतिपूर्ति के मामले में

अनु. 321 संसद UPSC को और अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है।
राज्य विधानमण्डल RPSC को " " "

अनु. 322 आयोग के खर्चे
UPSC → केंद्र की सञ्चित निधि पर भारित
RPSC → राज्य " " " " "

अनु. 323 वार्षिक प्रतिवेदन
UPSC → राष्ट्रपति
RPSC → राज्यपाल

लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताएँ -

- ① अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति निश्चित कार्यकाल के लिए
- ② एक बार नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- ③ कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पुनर्नियुक्ति का प्रावधान/पात्र नहीं
- ④ राज्य व केंद्र सरकार में कोई लाभ का पद स्वीकार नहीं करेगा।

RPSC

- 16 Aug. 1949 ई. को राजप्रमुख द्वारा अध्यादेश जारी किया गया।
- * यह 20 Aug. 1949 ई. को यह प्रभावी हुआ (जयपुर में)
- 1st Chairman = S. K. घोष (कार्यवाहक)
- स्थायी अध्यक्ष = S. C. त्रिपाठी
- सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के बाद इसे अजमेर स्थानान्तरित कर दिया।
- वर्तमान में → 1 अध्यक्ष + 7 सदस्य का प्रावधान
↳ श्री दीपक उप्रेती
- सबसे लम्बा कार्यकाल = देवीशंकर तिवारी (1951-58)
- सबसे छोटा " = P. S. यादव (1-10-1997 से 6-11-1997 तक)

RPSC में नवाचार -

- ① online registration
- ② One time registration
- ③ Online examination

- ④ RTI के माध्यम से उत्तर-पुस्तिकाओं का प्रदर्शन
 - ⑤ समयबद्ध परीक्षा का आयोजन करवाना
 - ⑥ पाठ्यक्रम में बदलाव
 - ⑦ साक्षात्कार से पहले एक कक्ष में साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले दोनों के मध्य एक मुलाकात होगी जिससे अभ्यर्थियों को संक्षिप्त में साक्षात्कार और आयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी।
- (b) साक्षात्कार के अंकों का विभाजन किया जाएगा -
- 40 अंक = साक्षात्कार
 40 अंक = समीक्षा परीक्षा में प्राप्तांकों की गणना
 20 अंक = Academic

RPSC का मूल्यांकन / समस्याएँ / चुनौतियाँ -

- ① अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप
- ② अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 Y कम है।
- ③ सरकार को दी गई सिफारिशों की उपेक्षा की जाती है।
- ④ वार्षिक प्रतिवेदन पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं।